न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 03 / 20 निर्णय दिनांकः 22-02-2023

1. नारायणराम पुत्र मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मालाराम पुत्र मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
3. रामेश्वर पुत्र मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
4. गोपालराम पुत्र मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
5. लादूदेवी पुत्री मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
6. खेमीदेवी पुत्री मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
7. कालुराम पुत्र माली पुत्री मघाराम जाति लुहार निवासी सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12—09—2002
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ

उपस्थितः—

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ, के निर्णय दिनांक 12–09–2002 जिसके द्वारा अपीलांट्स के नियमन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ के खसरा नम्बर 177 तादादी 36 बीघा अपीलांटस के पिता मघाराम के कब्जे काश्त में वर्ष 1960 के पूर्व से चली आ रही है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। अपीलांटस मौके पर ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। अपीलांटस के पिता ने वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटस व अपीलांटस के पिता को सुनवाई व सबुत का अवसर प्रदान किये बिना व बिना कमेटी गठित किये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नियमन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि नारायणराम वन विभाग में सरकारी कर्मचारी है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि मघाराम के नारायणराम के अलावा अन्य वारिसान भी थे तथा जिनका वादग्रस्त भूमि पर बराबर का हक व हिस्सा निहित था।

उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि मुताबिक रिकार्ड नारायणराम के यह भूमि सम्वत 2048 से कब्जे में है पुराने रिकोर्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि मघाराम का कब्जा सम्वत 2021 उसकी मृत्यु तक लगातार रहा है। उपरोक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि विगत 60 वर्षों से अपीलांटस एवं अपीलांटस के पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि है। विधि में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि कोई भी

काश्तकार अपने लम्बी अवधि तक रही कब्जे काश्त की भूमि के नियमन करवाने के अधिकारी हो जाते है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु की अनदेखी की गई है क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस के कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह जॉच की जानी चाहिए थी कि मौके की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। यदि वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष समस्त स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि वर्तमान में वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा मौके पर उसका कब्जा काश्त है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के नियमन के आदेश पारित करते हुए आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम जब हल्का पटवारी अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि आये उन्होंने मियांद के बिन्दु पर आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा बिना देरी के जानकारी से यह अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। मियांद कन्डोन के लिए धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—09—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 05—02—2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 18 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित

नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि जब वह आवंटन पत्रावली के बारे में मालूम करने गया तब उसे सर्वप्रथम दिनांक 23—01—2020 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन मनगढ़त एवं बनावटी है। जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वर्ष 2002 से 2020 तक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना उसकी लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है। अपीलांट अपनी लापरवाही का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में यह पाये जाने पर कि अपीलांट्स का आराजी जैर पर दिनांक 01—01—1079 से पूर्व से कब्ज काश्त नहीं है तथा नारायणराम वन विभाग में अर्थात सरकारी सेवा में है, उक्त प्रकरण को नियमन योग्य नहीं पाया जाने से ही नियमन का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। वादगत् भूमि अपीलांट की ना तो खातेदारी/गैरखातेदारी भूमि है ना ही वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक किस प्रकार पैदा होते है स्पष्ट नहीं है। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि मौजा रोही सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ के खसरा नम्बर 177 तादादी 36 बीघा भूमि के नियमन नहीं किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौजा रोही सालासर तहसील श्रीडूँगरगढ के खसरा नम्बर 177 तादादी 36 बीघा भूमि विगत् सन् 1960 से पूर्व से कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के नियमन के पात्र होने के बावजूद भी अदालत मातहत अपीलांट्स को को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश प्रसारित किये जाने चाहिए थे। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पत्रावली पर अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस जारी होने पर अपीलांट्स के पिता स्व. मघाराम न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये व उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। कालान्तर में वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु पत्रावली को नियमन कमेटी के समक्ष रखे जाने पर तहसीलदार, की रिपोर्ट के अनुसार आराजी जैर गैर मुमकिन बीड़ भूमि दर्ज रिकार्ड का अंकन होने के कारण उक्त भूमि के नियमन करने का प्रावधान नहीं है इसलिए नियमन नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अपीलांट्स का नियमन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इसी के साथ यह भी अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट् नारायणराम सरकारी सेवा में कार्यरत होने के कारण नियमन का पात्र नहीं माना गया है। इस प्रकार साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स की ना तो खातेदारी भूमि है ना ही गैरखातेदारी भूमि है ना ही वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स की हैसियत बतौर एक अतिक्रमी की है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक किस प्रकार पैदा होते है स्पष्ट नहीं है। लिहाजा अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—09—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 05—02—2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब अठारह् वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट्स का यह कथन कि उसे संबंधित पटवारी के कथन पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई।

अपीलांट का उक्त कथन स्पष्ट रूप से मनगढ़त एवं बनावटी प्रतीत होता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना—देना नहीं है। वर्ष 1990 से 2020 तक अपीलांट्स द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना अपीलांट्स की लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूॅगरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—09—2002 को यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर